SHRI NANDA : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.19 hrs.

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL - (*Contd.*)

MR. CHAIRMAN : We shall now take up further consideration of the Indian Medicine Central Council Bill (*Interruptions*.)

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : I want to make a few comments.

सभापति महोदय : At the third reading stage.

जितनी पार्टियां हैं सब कि सब बोल चुकी हैं इसलिये मैं मन्त्री जी को बुलाता हूं। इसमें केवल 25 मिनट रह गये हैं, और सारा समय आप लोगों ने ले लिया है। अतः अब कोई ऐसी बात कहने को नहीं है जो न कही गयी हो। इसलिये आप की इजाजत से मैं मिनिस्टर को बुला रहा हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : Mr. Chairman, I thank the Members for taking very keen interest in a matter which is of great importance to our country. A matter like this should really excite the hon. Members to participate in the debate and also suggest changes which they may consider good for protecting and helping Ayurveda, Unani, Siddha and other systems of medicine for which this Bill had been brought before the House.

Sir, there were some difficulties, and therefore, the discussion on the Bill had been stopped for two days and then we met several hon. Members, especially hon. Members like Mr. Joshi, Mr Lobo Prabhu, Mr. Kanwar Lal Gupta, Dr. Sushila Nayar and several others

SHRI KAMLANATHAN (Krishnagiri) : Not the DMK.

SHRI B. S. MURTHY : The DMK is all-pervading in the south.

AN HON. MEMBER : It is taken for granted. (*Interruption*.)

SHRI B. S. MURTHY : There was a difficulty here, and they wanted certain assurance to be given as far as the practitioners of the integrated system of medicine are concerned. They wanted one or two things to be done ; they said that after five years of training, the students who pass out of these integrated institutions may automatically be treated as MBBS. We could not give any promise here, because the recognition is not in our hands. It is the Indian Medical Council which has to take up the matter. As a matter of fact, I can inform this hon. House that once when the 'integrated' persons wanted to become equal to the MBBS, we took up the matter with the Indian Medical Council and they were good enough to promise that after training of one and a half years and passing out of such an examination, the could be treated as DMS and entered in the allopathic list of doctors. After that period of one and a half years, if they persist, they could study and become fulfledged MBBS doctors. About this, we are not able to give any assurance, but the present system will be continued.

Today, all the lists have been combined, and, as a matter of fact, there are about 1,80,000 practitioners of Ayurveda, Unani, Siddha and the integrated system of medicine. All these are given in the second schedule. Now, a request has come to us that this list may be divided into two parts : one part should contain only those names who are institutionally trained,—

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : —recognised by the statute of a State Government or the Central Government.

SHRI B. S. MURTHY : Recognised under the statute of any State Government or the Centre. We have agreed to do this. Under the rule-making power, we want to do that. Now, the present list contained in the second schedule will be divided into two. One will consist only of persons who are

[Shri B. S. Murthy]

institutionally trained and recognised by the State Government and the Centre.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : A statute of the State Government.

SHRI B. S. MURTHY : Law of statute.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Mostly from integrated medicine.

SHRI B. S. MURTHY : I will give you the proper wording. I am getting it typed out. I shall give you the proper wording. As far as I know, about 50,000 institutionally trained practitioners of Indian medicine are available today out of 1,80,000.

Therefore, one list will consist only of institutionally trained persons and recognised under the statute of the State and the other list will consist of the rest.

The third thing they wanted was this. Today certain State Governments have recognised certificates issued by some of these practitioners. The request is that the Centre also should try to reinburse money on the basis of those certificates. This matter is not entirely in the hands of the Health Ministry. This will be taken up with the Home Ministry and Finance Ministry.

I have get the actural wording now. It is like this : The second schedule will be divided under the rule making power into two parts : (1) Institutions recognised under statute by the State or Central Government. (2) The rest. Wherever certificates for reimbursement are recognised by the State Governments, efforts will be made to persuade the Home and Finance Ministries to recognise the same. Thirdly, students who are at present undergoing training in institutions will be allowed to have the same facilities that others are now enjoying.

The other amendments are verbal and they are not of consequence. Therefore, I appeal to hon. member to withdraw the other amendments. These three assurances given on behalf of the Government may be accepted as proof that we are anxious to accommodate all the people who are anxious to come within the purview of the Act.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for the constitution of a Central Council of Indian Medicine and the maintenance of a Central Register of Indian Medicine and for matters connected there with, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2—(*Definitions*)

श्री कंवरलाल गुप्त : चूंकि अभी मन्त्री महोदय ने एश्योरेंस दिया है और मुझे भी यह ख्याल है कि उस के कारण से जो इंटेग्रेटेड कोर्स के विद्यार्थी या डाक्टर हैं उन को काफी लाभ होगा और उन के जो ऐप्रीहेंशन हैं वह दूर हो जायेंगे, साथ ही चूंकि मैं चाहता हूं कि इस बिल के राज्य सभा में जाने में देर न हो जाये और यह आज ही पास हो जाये इस सदन में, इस लिये मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

SHRI LOBO PRABHU : Sir, we have tried for three days through four meetings to protect the integrated medicine. I can only hope that this assurance of Government is a real one and will not be defeated by other interpretations at a later stage. Integrated medicine today is the backbone of service in rural India. If you are fair by them, you will be satisfying the rural masses. Remember that while you M.B.B.S., M.D., M.S., etc. are in towns, it is only integrated medicine which is serving the people in the villages. If you keep faith with them, you are keeping faith with the people of rural India.

I am not moving my amendments.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani) : I beg to move :

10 Page 2, line 22, —

after "India" *insert* —

"having facilities for regular training and hospital attendance," (10)

MR. CHAIRMAN : Mr. Sreedharan is absent.

श्री शिव चन्द्र झा : क्लाज 2 में और उसके भाग एक में आपने बताया है कि मेडी-

कल इन्स्टींट्यूशन का क्या मतलब होता है। उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि आप यह लिख दें "हैविंग फेसिलिटीज फार रेग्युलर ट्रेनिंग एन्ड हासपिटल एटेंडेंट्स"। डिग्री डिप्लोमा यदि सरकार देगी और उस में अगर हासपिटल ट्रेनिंग की सुविधा नहीं होगी तो उसका क्या मतलब रह जायेगा ? इसलिए मेरा यह संशोधन है। यह कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा आप न कहें कि वह तो होता ही है। अगर होता ही है तो इसको आप स्पष्ट कर दें। ऐसी इन्स्टीट्यूशन आप को मिल जायेगी जो कहती होगी कि हम डिग्रियां देते हैं लेकिन यहां ये सुविधायें नहीं हैं। ऐसी हालत में अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। इसीलिए मेरा यह संशोधन है और मैं चाहता हूं कि इसको आप मान लें।

SHRI B S MURTHY: The Central Council which we are now appointing under this Act will look into these cases and will see that all institutions are provided with the institutional training and hospital beds etc. Therefore, I would request Shri Shiv Chandra Jha to withdraw his amendment.

श्री शिव चन्द्र झा : वह कहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। आप साफ क्यों नहीं इस में जोड़ देते हैं ? काम पक्का क्यों नहीं करते हैं। कच्चा क्यों कर रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 10 by Shri Shiv Chandra Jha to the vote of the House.

Amendment No. 10 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(*Constitution of Central Council*)

SHRI RAM AVTAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

Page 3, line 3,—

add at the end—

"but in case of a contest, the election shall be held through secret ballot" (27)

Page 3, line ,—

add at the end

"but in case of a contest, the election shall be held through secret ballot" (28)

Page 3, line 1?,—

after "or" *insert*—

"at least ten years". (?9)

Page 3, line 2.—

after "persons" insert—

"with recognised medical qualifications and" (35)

SHRI SHIV CHANDRA JHA: I beg to move:

Page 3, *after* line 20, *insert*—

"(d) one representative of the students of such systems of medicine." (11)

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha): I beg to move:

Page ?, line 43:—

after "Council" *insert*—

"for each system of Indian Medicine" (59)

श्री शिव चन्द्र झा : सेंट्रल काउन्सिल जो कमेटी बनाएगी उसके सम्बन्ध में क्लाज 3 में ए बी ओर सी में आपने कहा है कि कौन-कौन से सदस्य उस में लिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद डी जोड़ दिया जाए कि वन रिप्रिजेंटेटिव आफ दी स्टुडेंट्स आफ सच सिस्टम्ज आफ मैडीसिन। आप जानते ही हैं कि विश्वविद्यालयों में स्टुडेंट्स के पार्टिसिपेशन की बात चल रही है। श्री मधु जी का विधेयक है जो डा० राव ने सक्युंलेट किया है कि विद्यार्थियों का कितना और किस प्रकार से उस मे पार्टिसिपेशन हो, कालेज और यूनीवर्सिटी को चलाने में कितना पार्टिसिपेशन हो। जब और यूनिवर्स्टीज में यह बात चल रही है तो ये जो मैडीसीन के स्कूल और कालेज होंगे उन में भी यह बात क्यों लागू न हो ? यदि आप संट्रल काउन्सिल बनाते हैं तो उसके लिए यह जरूरी है कि विद्यार्थियों का भी एक रिप्रिजेंटेटिव

[श्री शिव चन्द्र झा]

आप उसमें लें। यही मेरा संशोधन है। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी की इन्टेग्रेटिड वाली बात बाद में आएगी। लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि उनका भी एक नुमाइंदा लिया जाए।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी चार छोटी-छोटी एमेंडमेंट्स हैं इस क्लाज में जिन को मैंने मूव किया है। पेज 3, लाइन तीन और आठ में इलैक्शन की बात की गई है। उस में मेरी एमैंडमेंट यह है कि इलैक्शन सीक्रेट बैलट से किए जाएं। उसी तरह से पेज 3 लाइन 12 में एक्सपीरियेंस की बात की गई है। उस में मैंने यह कहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियेंस एट लीस्ट टैन थीअर्ज इस में रखा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि दो महीने का या एक साल का किसी को नालेज या एक्सपीरियेंस हुआ तो उसको रख लिया जाए। उससे काम नहीं चलेगा। उससे कोई भला नहीं होगा। उससे रोगी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप स्पेसिफाई कर दें कि उसको 10 साल का एक्सपीरियेंस हो।

पेज 3 लाइन दो में मैंने यह कहा है कि आफ्टर परसंज, शब्द विद रिकगनाइज्ड मैडिकल क्वालिफिकेशंज जोड़ दिये जायें। इससे बात क्लीअर हो जायेगी।

ये मेरे चार संशोधन हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इनको आप स्वीकार कर लें।

श्री इसहाक संभली : हम देखते हैं कि युनानी तिब्बी से बहुत नाइंसाफी की जा रही है। हम उम्मीद करते थे कि इस बिल के आने पर शायद इसके साथ इंसाफ होगा। लेकिन हमें देख कर ताज्जुब हुआ है कि इस बिल में भी वही तरीका अखत्यार किया गया है जिससे कि युनानी तरीके इलाजको जो हमारे यहां बहुत ही पापुलर और अच्छा इलाज है और सस्ता इलाज भी है, इंसाफ न मिल सके। इसीलिए मैंने यह तरमीम पेश की है कि यह जरूरी है कि इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए कदम उठाये जायें और कोशिश की जाए। युनानी हिन्दुस्तान के मिजाज के मुताबिक है और यह किस कद्र मुफीद है, इसको आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मिनिस्टर साहब खुद जा चुके हैं और जानते है कि यहां पर हमदर्द दवाखाने में कितना बड़ा युनानी दवाओं का रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। उससे फायदा उठाना चाहिये। इसके बावजूद युनानी तरीके इलाज के लिए कोई अलग काउंसिल नहीं रखी गई है। एक ही जगह कर दिया गया है। उधर होम्योपैथिक सिस्टम के लिए अलग काउंसिल बना दी गई है। मुझे इस में कोई एतराज नहीं है। वह अलग तरीकये इलाज है। इसी तरह से हमारे यहां भी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध यह अलग-अलग सिस्टम्स हैं। जरूरत है कि हर एक के लिए अलग कौंसिल होनी चाहिए ताकि वह पूरी तरह से तरक्की कर सकें और उन के साथ नाइंसाफी न हो सके। हम यह देखते हैं कि हमारे मेम्बर साहबान या मिनिस्टर साहब भी जब किसी लम्बी बीमारी में मुबतिला होते हैं तो यूनानी हकीमों के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और फायदा उठाते हैं। लेकिन जब जरूरत आती है यूनानी के साथ इंसाफ करने की तब उनका कदम नहीं उठता। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे एक कमीशन बनाया गया था जिस का काम था कि वह देसी तरीकये इलाज के इन्स्टीट्यूशंस का विजिट करे, मुझे ताज्जुब है और मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब उस का जवाब दें, उस ने केवल दो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में विजिट किया, किसी भी यूनानी मतब को उन्होंने नहीं देखा। आज यूनानी कालेज एक-एक करके बन्द किए जा रहे हैं। जो हमारे मुल्क के लिए निहायत मुफीद चीज थी वह बन्द की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे संशोधन को मंजूर कर के इस नाइन्साफी को दूर किया जायगा और हर एक सिस्टम के लिए अलग-अलग

कौंसिल बनाई जायगी। वरना हम समझते हैं कि हमारी सरकार यूनानी सिस्टम को और सिद्ध सिस्टम को खत्म करना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेंट को पेश करता हूं।

[شری اسحاق سنبھلی (امروہہ): ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی سے ناانصافی کی جارہی ہے۔ ہم امید کرتے تھے کہ اس بل کے آنے پر شاید اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ہمیں لیکن ہمیں دیکھ کر تعجب ہوا ہے کہ اس بل میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس کہ یونانی طریقہ علاج کے جو ہمارے یہاں بہت ہی پاپولر اور اچھا علاج ہے اور سستا علاج بھی ہے۔ اس کو انصاف نہیں ملا ہے۔ اس لئے میں نے یہ ترمیم پیش کی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس ناانصافی کو دور کرنے کے لئے قدم اٹھائے جائیں اور کوشش کی جائے۔ یونانی ہندوستان کے مزاج کے مطابق ہے اور یہ کسی قدر مفید ہے۔ اس کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں منسٹر صاحب خود جا چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمدرد دواخانہ میں کتنا بڑا یونانی دوائی کا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیئے۔ اس کے باوجود یونانی طریقہ علاج کے لئے الگ کونسل نہیں رکھی گئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ الگ علاج ہے۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں بھی آیورویدک، یونانی، سدھ یہ الگ الگ سسٹم ہیں ضرورت ہے کہ ہر ایک کے لئے الگ کونسل ہونی چاہیئے تاکہ وہ پوری طرح سے ترقی کرسکے اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممبر صاحبان یا منسٹر صاحب کسی جیسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یونانی حکیم کے پاس جو جاتے ہیں۔ علاج کراتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب ضرورت ہوتی ہے یونانی کے ساتھ انصاف کرنے کی تب ان کا قدم نہیں اٹھتا۔ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ جس کا کام تھا کہ وہ دیسی طریقہ علاج کے انسٹی ٹیوشنز کا وزٹ کرے۔ مجھے تعجب ہے کہ میں چاہوں گا کہ منسٹر صاحب اس کا جواب دیں۔ اس نے صرف دو آیورویدک ڈسپنسریز میں وزٹ کیا کسی بھی یونانی مطب میں انھوں نے نہیں دیکھا۔ آج یونانی کالج ایک ایک کرکے بند ہو رہے ہیں۔ جو ہمارے [illegible] یہ چیزیں [illegible] ہے۔ وہ بند کی جارہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سنشودھن کو منظور کرکے اس ناانصافی کو دور کیا جائیگا اور ہر ایک سسٹم کے لئے الگ الگ کونسل بنائی جائیگی۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرکار یونانی سسٹم کو اور سدھ سسٹم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ میں اپنے امینڈمینٹ کو پیش کرتا ہوں۔]

SHRI B. S. MURTHY : I do not agree with the hon Member who spoke last that Unani is not Indian. It is Indian. Therefore, we call it an Indian medicine. We do not want to have three Councils, one for Ayurveda, the other for Siddha and another for Unani. But we have given separate committees which are autonomous more or less. So, no harm will be done. On the other hand, every effort will be made to see that Unani system develops ..

SHRI ISHAQ SAMBHALI : It is a very small Committee just like a sub-committee This is not sufficient.

SHRI B. S. MURTHY : It is not a question of big or small committee. The intention of the Government is to see that all the three systems which constitute Indian medicine are given sufficient support to have full growth. Therefore, I request the hon. Member not to separate Unani from the people of India. Let it not be said that Unani is not Indian. Unani is cent per cent Indian.

SHRI ISHAQ SAMBHALI : But it is a separate system.

SHRI B. S. MURTHY : Again, all the facilities that we provide for Ayurveda which is a dominant partner in this will be provided for Unani as well as Siddha. Therefore, nobody should have any grouse in this. So, I request the hon. Member to withdraw his amendment.

As regards Mr. Shiv Chandra Jha's amendment about students' representation in the Council, I think, it is too early for Mr. Jha or myself or anybody to think of giving representation on a Council like this which is charged with the task of formulating the syllabus, the studies and the courses in these systems. When time comes, I think, he will be available for bringing an amendment saying that students should also get membership here.

Then, with regard to the amendments moved by Shri Ram Avtar Shastri, they are for seeking more clarifications. They do not count as independent amendments. All clarifications which have become necessary have been given. Therefore, I request Shri Ram Avtar Shastri to withdraw his amendments. As a Ram Avtar, he must help me in passing this legislation. I, again, appeal to Ram Avtar to withdraw his amendments.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is a communist Ram Avtar.

MR. CHAIRMAN : Now, I put amendment No. 11 moved by Shri Shiv Chandra Jha to vote.

Amendment No. 11 was put and negatived

MR. CHAIRMAN: I will now put all the amendmends to the vote of the House.

Amendments Nos 27 to 29, 35 and 59 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4, 5 and 6 were added to the Bill

Clause 7—(*Term of Office of President, Vice-President and Members of Central Council*)

SHRI SHIV CHANDRA JHA: I beg to move:

Page 4, line 4,—

after "nominated" *insert*—

"within three months" (12)

Page 4, line 18,--

after "shall" *insert*—

"not" (13)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 4, lines 3 or 4,--

"omit", or until his successor shall have been duly elected or nominated, whichever is longer" (30)

श्री शिव चंद्र झा : सभापति महोदय, इसमें यह दिया है :

"The President, a Vice-President or a mem er of the Central Council shall hold office for a term o: five years from the date of his election or nomination as the case may be, or until his successor shall have been duly elected or nominated, whichever is longer."

इसमें व्हिचेवर के पहले मैं चाहता हूं कि विदिन थ्री मंथ्स बढ़ा दिया जाय मेरा कहना यह है कि जो उसका टर्म है उसके पहले जगह खाली हो जाती है तो प्रेसीडेंट या वाइस-प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो या एलेक्टेड हो यह तीन महीने के अन्दर फिर हो जाय, उसको लम्बा करने की क्या जरूरत है। इसीलिए मेरा 12वां संशोधन है विदिन थ्री मंथ्स वहां रख दिया जाय।

दूसरा संशोधन जो 13वां है उसमें यह कहते हैं :

"Members of the Central Council shall be eligible for re-election or re-nomination."

उसमें शैल के बाद नाट शब्द जोड़ दिया जाय। यह फिर नामिनेट करने की बात जो इसमें वेस्टेड इन्टेरेस्ट की बात आ जाती है। इसीलिए ऐसी जगह में फिर नामिनेट करने की जरूरत नहीं है। वहां आप शैल के बाद नाट लगा दें कि शैल नाट वि एलिजिबल फार-री एलेक्शन आर री-नामिनेशन।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय मेरा संशोधन इसी क्लाज 7 में है। इसमें यह है :

"The President, a Vice-President or a member of the Central Council shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination, as the case may be..."

मेरा कहना है कि इसे यहीं तक रहना चाहिए, इसके बाद के हिस्से की जरूरत नहीं है। हम डेफिनिट चाहते हैं कि पांच साल तक ही उनकी मियाद रहे और पांच साल पूरा होते ही एलेक्शन हो जाय। उसके आगे अगर मगर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की बात कही जायेगी जैसी कि आगे कही गई है तो इसका मतलब है कि पांच साल के बाद एलेक्शन नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं उसे सेफगार्ड करना चाहता हूं। ऐसा आमतौर से हम अपने जीवन में देखते हैं कि कमेटियों की लाइफ इसी तरह से बढ़ती जाती है। इसीलिए यह बिल्कुल आवश्यक बना दिया जाय कि पांच साल के बाद एलेक्शन होगा ही। इसलिए मैंने कहा कि "बी" के बाद फुल-स्टाफ कर दीजिए। उसके बाद के जो शब्द हैं उनको हटा दीजिये, उनकी जरूरत नहीं है।

SHRI B. S. MURTHY : I cannot accept the Amendments.

MR. CHAIRMAN : I will now put the Amendments Nos. 12, 13 and 30 to the vote of the House.

Amendments Nos 12, 13 and 30 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8—(*Meetings of Central Council*)

MR. CHAIRMAN : Shri S. C. Jha is moving Amendment No. 14.

SHRI SHIV CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 4, line 33,—

add at the end "unanimously" (14)

यह एक छोटा सा संशोधन है, जिसको ये मान सकते हैं, लेकिन यह तो प्रेस्टिज की बात है, कैसे मानेंगे । इस क्लाज में कहा गया है—

> Provided that no decision of the Central Council in relation to Indian medicine or Homeopathy shall be effective unless three member representing Ayurveda, Siddha, Unani or Homeopathy system of medicine, as the case may be, are present at meeting and support the decision.

मान लीजिये एक आदमी सपोर्ट करता है, दो नहीं करते हैं, तब क्या होगा ? इसीलिए मैंने वहां "यूनैनिमसली" शब्द को जोड़ा है, जब तीनों सर्व-सम्मति से समर्थन करें, तब उस फैसले को कार्यान्वित किया जाना चाहिए । आज गांव सभाओं की बात चल रही है, आप कहते हैं कि वहां सर्व-सम्मत काम होना चाहिए, तो यहां क्या दिक्कत है । उसमें पढ़े-लिखे लोग होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आयेगी ।

SHRI B. S. MURTHY : Insisting on unanimity is to dilute the decisions. I am not accepting the amendment.

MR. CHAIRMAN : I will now put the Amendment No. 14 of Shri S. C. Jha to the vote of House.

Amendment No. 14 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9—(*Committees for Ayurveda, Siddha and Unani*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am not moving my amendment.

MR. CHAIRMAN : Shri S. C. Jha is moving. Shri Lobo Prabhu is absent.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am not moving.

MR. CHAIRMAN : Shri R. D. Bhandare, not here. Shri Hardayal Devgun, not here. Amendment No. 45 is the same as No. 15.

Shri S. C. Jha.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I be to move :

Page 4,

after line 38, *insert*—

"(d) a committee for Integrated Medicine" (15)

मैंने इस संशोधन में यही कहा है कि जहां आप कमेटी आफ आयुर्वेद कमेटी ऑफ सिद्ध, कमेटी आफ यूनानी बनाते हैं, वहां एक कमेटी आफ इन्टीग्रेटेड मैडिसिन्ज भी होनी चाहिए । यह बहुत अहम संशोधन है । मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आपस में कुछ बातें कर ली हैं, अगर आपस में बातें कर ली हैं, तब यहां चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको चेम्बर में ले जाइये, क्लाज-वाई-क्लाज चेम्बर में ही पास कर लीजिये, पांच मिनट में पास हो जायेगा । मैं पूछता हूं कि जिन्होंने इन्टीग्रेटेड

[Shri Shiva Chandra Jha]

मैडिसिन से पास किया है, वे वैद्य कहां जायेंगे? इसलिए इन्साफ का तकाजा है कि इन्टीग्रेटेड मैडिसिन की एक कमेटी की बात आप मान लें।

*SHRI J. H. PATEL (Shimoga): Mr. Chairman, Sir, I have tabled my amendment with a specific purpose. In our country, we have Ayurveda, Siddha and Unani systems. There has been lengthy discussion in this House on the efficacy of these systems. In addition, there is also an integrated system of medicine. However, I am not going to dispute the efficacy or otherwise of it.

There are about 50 colleges in our country where this integrated system of medicine is taught and there are about 50,000 practitioners who have qualified in the integrated system of medicine. I am pleading on behalf of these people as their interest is of vital importance.

If the Government is going to give an assurance that their interest would be safeguarded, I will not press my amendment. But as things stand, I do not think so. Hence I am urging the Government to accept my amendment.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 15 moved by Shri Shiva Chandra Jha to the vote of the House. Those in favour may kindly say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: 'Aye'.

MR. CHAIRMAN: Those against may kindly say 'No'.

SEVERAL HON. MEMBERS: 'No'.

MR. CHAIRMAN: The 'Noes' have it

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: The 'Ayes' have it इस पर डिवीजन होना चाहिए।

सभापति महोदय: जो इस अमेंडमेंट के पक्ष में हैं, वे खड़े हो जांय।

श्री शिव चंद्र झा: सभापति महोदय, ऐसा नहीं हो सकता, जब डिवीजन मांगा जाता है तो बटन से डिवीजन करावें।

सभापति महोदय: ऐसा नहीं होगा। रूल्ज के मुताबिक दोनों तरह की पद्धतियां अख्तियार की जा सकती है, जो इसके फेवर में हैं, वे खड़े हो जांय।

श्री शिव चंद्र झा: सभापति महोदय ***

सभापति महोदय: ये जो बोलते हैं, उसको रिकार्ड मत किया जाय।

Shri Shiva Chandra Jha then left the House.

श्री मु० अ० खां (कासगंज): सभापति महोदय, इन्होंने अभी चेयर के खिलाफ जो कुछ कहा है, उसको रिकार्ड से निकाला जाय।

सभापति महोदय: हमने रिकार्ड से निकाल दिया है।

MR. CHAIRMAN: I am now putting amendment No. 15 to the vote of the House.

Amendment No. 15 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 9 stand part of the Bill:"

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

*The original speech was delivered in Kannada.

***Expunged by order of the Chair.

Clauses 15 and 16 were added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

16.00 hrs.

Clause 22—(*Minimum Standards of Education in Indian Medicine*).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move :

Page 9, line 9,—

after "medicine" *insert*—

"along with adequate knowledge of modern human anatomy, physiology, medicine including preventive medicine, surgery and midwifery gynaecology" (40)

मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है कि वे इन सारी बातों को भी जानें। औरतों की बीमारियों और मर्दों की बीमारियों की सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। अगर उनको इसकी सारी जानकारी नहीं होगी तो वह ठीक इलाज नहीं कर पायेंगे। जब आप कोई एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवश्यक है कि उनको इन बातों की जानकारी हो—इन बीमारियों की जानकारी और शरीर से सम्बन्धित तमाम बातों की जानकारी उनको होनी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उनको इन बातों से अलग क्यों रखना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो कि एक किताब पढ़ लेते है और इलाज करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनके इलाज का उल्टा असर होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बातों को भी आप उसमें शामिल कर दीजिये ताकि आपका यह इलाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाये और उन लोगों का एक मिनिमम स्टेंडर्ड बन जाये और फिर लोगों को किसी प्रकार का कोई खतरा उठाना न पड़े। नीम हकीम खतरे जान वाली बात दूर हो जाये—इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

SHRI B. S. MURTHY : I wish I could accept Shri Ramavatar Shastri's amendment. My respectful Ramavatar is always great. But unfortunately his amendment does not throw any fresh light because these courses are already being taught ; secondly, we must leave these things to the Central Council that is going to come to look after.

Therefore, I request you to kindly withdraw his amendment.

MR. CHAIRMAN : I put amendment No. 40 to the House.

Amendment No. 40 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 22 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 22 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : There are no amendments to clauses 23 to 25. The question is :

"That clauses 23 to 25 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 23 to 25 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 26 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 26 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : There are no amendments to clauses 27 to 32. The question is :

"That Clauses 27 to 32 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 27 to 32 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 33 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 33 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clauses 34 and 35 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 34 and 35 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 36 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 36 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the First Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Second Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Second Schedule was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Third and Fourth Schedules stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Third and Fourth Schedule were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formaia and the Title were added to the Bill.

SHRI B. S. MURTHY : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि आज देर ही में क्यों न सही, 23 साल के बाद सरकार ने भारतीय दवाइयों के लिए एक सेन्ट्रल काउन्सिल का निर्माण किया । 23 साल तक यह मामला रद्दी में पड़ा हुआ था । मैं आशा करता हूं कि इसके बाद सरकार केवल कौंसिल बना करके चुप नहीं बैठ जाएगी, बल्कि और भी चीजों के करने की जरूरत है जिनके बारे में विशेष कदम उठायेगी । विशेषत: फंड के बारे में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बात का आश्वासन दें कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के लिए और अधिक पैसा देंगे, क्योकि अंग्रेजी दवाइयों के लिए उन्होंने जितना पैसा दिया है उसके मुकाबले में और दूसरी पद्धतियों के लिए उतना पैसा नहीं दिया गया है ।

तीसरी बात मुझे रिसर्च के बारे में कहनी है । आपने करोड़ों रुपया अंग्रेजी दवाइयों की रिसर्च पर खर्च किया, लेकिन हिन्दुस्तानी दवाइयों पर कोई भी रिसर्च नहीं की, पब्लिक सैक्टर में कोई कारखाना ऐसा नहीं है जो हिन्दुस्तानी दवाइयां बनाता हो । आपने करोड़ों रुपया अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर खर्च कर दिया, बरबाद किया लेकिन भारतीय दवाइयों का एक भी कारखाना पब्लिक सैक्टर में सरकार द्वारा निर्मित नहीं किया गया । आज अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद की शुद्ध दवाई लेना चाहता है तो वह बाजार में नहीं मिल सकती जिसका परिणाम यह है कि रोगी ठीक नहीं होता और लोगों की अश्रद्धा आयुर्वेद पर हो जाती है । इसको ठीक करने के लिए सरकार का फर्ज हैं कि पब्लिक सैक्टर के अन्दर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाने का कारखाना सरकारी तौर पर खोले और उसमें रिसर्च भी करे । यद्यपि हमने अपना संशोधन वापस ले लिया है लेकिन मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि

जो काउन्सिल बनेगी वह केवल पार्टी बाजी का अखाड़ा न हो । मैं चाहूंगा कि आइंदा जो लोग इसके मेम्बर बनें, जो लोग रेगुलर इंस्टीट्यूशन्स में पढ़ते नहीं है उन लोगों को बेकार सर्टिफिकेट दे करके प्रैक्टिस करने की इजाजत न दी जाय वरना इस तरह से आयुर्वेद का अपमान होता है । इसी लिए जो लोग रेगुलर इंस्टीट्यूशन्स में हैं, जिनको अस्पतालों की ट्रेनिंग है ऐसे ही लोगों को डिग्री दीजिये । माडर्न मेडिसिन के आप कितने ही डाक्टर रखें, हिन्दुस्तान में जहां 50 करोड़ आबादी है, जहां गरीबी है बहुत और लोग गांवों में दवाई की सुविधा न होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में मरते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आयुर्वेदिक यूनानी दवायें सस्ते दामों पर उपलब्ध होनी चाहियें ।

मैं चाहूँगा कि सरकार इन दवाओं को बनाये और सबसिडाइज भी करें ताकि गांवों में लोग उसका उपयोग करें और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको गांवों सरकारी तौर पर सरकार नौकरी दे और उनको उसी तरह की सुविधायें दे जैसी डाक्टरों को देती है ।

श्री मु० अ० खां : सभापति जी, कभी-कभी गुप्ता जी सही बात कहते हैं । जितनी बातें उन्होंने कही हैं मैं उन सबका समर्थन करता हूं । माननीय इसहाक सम्भली के जवाब में मन्त्री जी ने कहा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बरता जाएगा, सबके साथ इन्साफ होगा । बहरहाल, जब हाउस में मन्त्री लोग बयान देते हैं तो वह एक अच्छा बयान होता है, मगर हकीकत यह है कि नीचे का ढांचा आज तक इनके कंट्रोल में नहीं रहा और न आशा है कि यह नीचे के ढांचे पर कंट्रोल रख सकेंगे । जिस तरह का भेदभाव पहले बरता जाता था वही आज भी बरता जायेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि तीन काउन्सिलें बनायी जायें, यूनानी की अलहदा, आयुर्वेद की अलहदा और सिद्ध की अलहदा । उसकी वजह यह है कि 23 साल के अन्दर तीन एडवाइजर्स आफ इंडियन मेडिसिन मुकर्रर किये गये, तीनों वैद्य थे । एक भी यूनानी हकीम आज तक मुकर्रर नहीं किया गया । क्या यह डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल नहीं है ? सरकार डिस्पेंसरीज खोलती है जिसमें 58 एलोपैथी की, पांच आयुर्वेद की और दो होम्योपैथी की डिस्पेंसरीज हैं । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आज तक एक भी यूनानी डिस्पेंसरी खुली है ? इसके अलावा सिलैक्ट कमेटी का डेप्यूटेशन जांच करने के लिए गया जिसने अयुर्वेदिक कालेज और दूसरे कालेज की जांच की लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसी यूनानी कालेज की भी जांच की ? मेरा खयाल है कि जिस तरह 23 साल तक यूनानी के साथ डिस्क्रिमिनेशन बरता गया उसी तरह काउन्सिल बनने के बाद भी एक सैक्शन आफ इंडियन मेडिसिन के साथ डिस्क्रिमिनेशन बरता जाएगा । और आप चाहे यकीन कितना ही दिला दें लेकिन यह मामला आप के कंट्रोल के बाहर है । मुझे यकीन है कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय हम लोगों को धोखा देने के । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आप तीनों सिस्टम्स के लिए काउन्सिलें बनायें तभी यूनानी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सकता है वरना जो ढांचा है उसमें आपकी तसल्ली बेकार है, आप कुछ नहीं करेंगे और जिस तरह का बिल लाये हैं उससे आप यूनानी दवाइयों के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोक नहीं पायेंगे ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति जी, उर्दू में एक कहावत है कि देर आयद, दुरुस्त आयद । मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम स्वतंत्रता के चाहे 23 वर्ष बाद ही सही इस सरकार ने एक अच्छा काम तो किया । कुछ लोगों ने कहा कि इस जैट युग में बैल गाड़ी का क्या काम । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां

[श्री वेणी शकर शर्मा]

तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है उसकी बैलगाड़ी से तुलना नहीं की जा सकती। इसकी तुलना अगर हो सकती है तो जैट से ही हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान-सम्मत और उदार है उतनी और कोई प्रणाली नहीं है। एलोपैथी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन उसमें वही पैनिसिलीन हर एक रोग को बि ा आयु, देश और काल को देखें देते रहते हैं। सल्फा ड्रग्स का रोगी पर क्या असर होगा उसको कोई नहीं देखता। लेकिन हमारे आयुर्वेद विशारद वैद्य ऐसा नहीं करते। वह आयु देश, काल एवं परिस्थिति को देखकर ही रोग का निदान एवं उसका उपचार करते हैं। इसलिए हमारे देश के लिए आयुर्वेद-पद्धति जितनी उपयुक्त है उतनी और कोई पद्धति नहीं हो सकती।

जो बातें माननीय कंवर लाल गुप्ता ने कही मैं उनका समर्थन करता हूं। अभी हमारे यहां गांवों में 90 प्रतिशत लोग रहते है। किन्तु आज एलोपैथी के जितने डाक्टर हैं वे 90 प्रतिशत शहरों में रहते हैं इसलिए राजी से कहिए या बेराजी से, देहात के लोगों को आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों पर ही निर्भर करना पड़ता है। किन्तु सरकारी सहायता के बिना यह हमारे वैद्य और हकीम एक तरह से नेग्लेक्टेड हो गये हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद उनको प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे ग्रामीण भाइयों को राहत।

जहां तक आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का सवाल है वे अच्छी नहीं मिलती हैं। आयुर्वेदीय औषधियां बनाने के देश में बहुत से कारखाने हैं और मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे भी कारखाने हैं जो दो-दो करोड़ रु० की दवाइयां साल में बेचते हैं, किंतु फिर भी हमें यह शक रहता है कि यह दवाइयां अच्छी मिलती हैं कि नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार के द्वारा कम से कम एक ऐसी सेन्ट्रल फैक्ट्री की स्थापना की जाय जहां स्टैंडर्ड औषधियां बनाई जायें और जो सस्ते और उचित दामों पर लोगों को मिल सकें।

जहां तक एलोपैथिक दवाइयों में से कुछ अच्छी दवाइयों का सवाल है आयुर्वेद ऐसी दवाइयों को अपने दायरे में लेने से इन्कार नहीं करता। वह ऐलोपैथी और होम्योपैथी से भी ज्ञान लेता है और ले सकता है। जो ऐक्सपेंडिग संस्थान होते हैं वह किसी चीज को अपने दायरे में लेने की राह में कोई रुकावट नहीं डालते।

अन्त में मैं फिर इस बिल का स्वागत करता हूं। और सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह एक अच्छा काम इस सरकार ने किया है।

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): Sir, this Bill seems to the quite encouraging so far as the title goes. From the title, one gets the impression that the Government of India is going to do something big for the development, preservation, etc. of ayurveda and other Indian systems of medicine. But when one looks into the provisions of the Bill, one is disappointed. The only purpose of this so-called council is to bring about certain standards of education so far as the Indian systems of medicine are concerned. I think the challenge of the day is too big to be tackled in such a peremptory manner. Today ayurveda is at the vanishing point. Unless the Government of India patronises it, it will be liquidated soon. For the rural areas, Indian systems of medicine are the only hope. The M. B. B. S. doctors will hesitate to get to rural areas. The vaidyas who used to be there in the rural areas are also not getting patronage because the people are more anamoured of injections, etc. So, what is most important today is that the Government should encourage the science of ayurveda. For that purpose, this Bill does not contain anything. The Indian systems of medicine should be developed and a pride of place should be given to them, so that we can have such institutions in Indian systems like the All India Institute of Medical Sciences. Ayurveda is a scientific system and it should be preserved and

developed. For achieving this, I suggest that Government should broad-base the functions and powers of this council.

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने आजादी के बाद इस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया। वह भी धन्यवाद के पात्र है और वह लोग भी धन्यवाद के पात्र है, विशेषकर श्री शर्मा, जिन्होंने यूनानी आयुर्वेद और सिद्ध तीनों के बारे में जानकारी पैदा की है। यहां पर इस डर को भी दूर करना होगा कि कहीं ऐसा न हो जाय कि एक सिस्टम हावी हो जाये। ऐसा प्रयत्न करना होगा कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध तीनों पद्धतियों का विकास हो। यह तीनों पद्धतियां यहां की जनता के जीवन के साथ घुल मिल गई हैं, इसलिए यह तीनों पद्धतियां जो हैं उनका विज्ञान तरक्की करे दुनिया में जहां आज हर बात में कम्पीशन हो रहा है, यह सिस्टम तरक्की करें और जो कहावत है कि नीम हकीम खतरए जान उससे बचा जा सके। मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध यह तीनों सिस्टम ऐसे हो जाये कि जनता को यह महसूस ही न होने पाये कि इन तीनों में कोई अलगाव है और वह ब्रिटिश सिस्टम आफ मेडिसिन की ओर न बढ़ जाये। हमारे देश की परम्परागत जो पद्धतियां हैं वह आगे बढ़ सके। इसी के लिए यह विधेयक लाया गया है और मैं मन्त्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

*SHRI J. H. PATEL : Sir, I am raising only one point on which I want an assurance from the Government. According to Pandit Shiv Sharma, it is not possible to integrate Ayurveda, Siddha and Unani systems with allopathy. I am not standing here to comment upon the possibility or otherwise of integrating these systems. I am pleading with the Government to give adequate security to the practitioners who have qualified in the integrated system of medicine. There are about 50 colleges in the country where integrated system of medicine is taught and about 50,000 practitioners working in different parts of the country. I would like to know that Government is going to do safeguard their interest and to look after their future.

श्री इसहाक सम्भली : सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि जिस वक्त यह बिल पास हो रहा है उस वक्त मिनिस्टर साहेब ने मेरी तरमीम को मंजूर नहीं किया। जैसा मंत्री जी ने वादा किया है, मैं उम्मीद करता हूं, कि हिन्दुस्तान के इस तिब्बी सिस्टम के साथ, जिसको यूनानी भी कहा जाता है, कोई ना-इन्साफी नहीं होगी। ना-इन्साफी न होने की एक ही शक्ल है और मैं उस पर जोर दूंगा कि जो कमेटी बनाई जा रही है, जिनके बारे में आप ने कहा है कि वह अटोनोमस बाडीज होगी, वह इतनी अटोनोमस हों कि कोई दूसरी बाडी उनको दबा न सके। आज तो यह होता है कि अगर किसी बाडी में 100 मेम्बर हैं तो उनमें 98 मेम्बर एक तरह के होते हैं और दो यूनानी या तिब के होते है। इससे इस सिस्टम को इन्साफ नहीं मिल पाता हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया है उसको निभायेंगे और ऐसा इन्तजाम करेंगे कि यूनानी के साथ ना-इन्साफी न हो सके और वह पूरी तरह से तरक्की कर सके।

[**اسحاق سنبھلی** امروہہ۔ سبھاپتی مہودے۔ مجھے افسوس ہے کہ جس وقت یہ بل پاس ہو رہا ہے اس وقت منسٹر صاحب نے میری ترمیم کو منظور نہیں کیا جیسا منسٹر جی نے وعدہ کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اس طبی سسٹم کے ساتھ جس کو یونانی بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ناانصافی نہ ہونے کی ایک ہی شکل ہے اور میں اس پر زور دونگا کہ جو کمیٹی بنائی جارہی ہے۔ جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ آٹونومس ہوگی۔ بوڈی ہوگی وہ اتنی آٹونومس ہو کہ کوئی دوسری بوڈی اس کو دبا نہ سکے۔ بوڈی ہوگی۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بوڈی میں ۱۰۰ ممبر ہوں تو ان میں ۹۸ ممبر ایک طرح کے ہوتے ہیں اور ۲ یونانی یا طب کے ہوتے ہیں۔ اس سے اس سسٹم کو انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھائیں گے۔ اور ایسا انتظام کریں گے۔ کہ یونانی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوسکے اور وہ پوری طرح سے ترقی کرسکے۔]

*The original speech was delivered in Kannada.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। मेरे काबिलतरीन दोस्त और हिन्दुस्तान के काबिल नेता श्री के० के० शाह इस बिल को लाये हैं, लेकिन बदनसीबी यह है कि यहां पर काम ठीक तरह से नहीं होता है और इल्म की पूरी इज्जत नहीं होती। मैं बतलाऊं, एक बार एक अमरीकन डाक्टर यहां तजुर्बा करने के लिए आया कि हिन्दुस्तान के जो डाक्टर और हकीम हैं उनमें कोई काबिलियत भी है या नहीं। वह हकीम अजमल खां के वालिद साहब के दवाखाने में गया और अपने को दिखलाया। उन्होंने देखकर नुस्खा लिख दिया। जब उसने दवा ले ली और दाम पूछा तो पता चला 4 पैसा। उसको बड़ी हैरत हुई कि दवा का दाम चार पैसा। वह दुबारा लाइन में जा कर खड़ा हो गया। हकीम साहब ने कहा कि तुमको तो मैंने देख लिया, तुमको बीस साल हुए सांप ने कांटा था। अमरीकन डाक्टर ने कहा कि सांप ने तो काटा था यह तुमने मालूम कर लिया, लेकिन यह कैसे पता लगाया कि बीस साल पहले काटा था। उन्होंने जवाब दिया कि हिन्दुस्तान को खुदा ने दिमाग दिया है। अगर मैं उसका फायदा उठाता हूँ तो क्या हुआ? हमारे मन्त्री महोदय हिन्दुस्तान के नेता रहे हैं और अब भी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यूनानी मुसलमान की नहीं है, यूनानी तिब्बत जो है वह हिन्दुस्तान की देन है। भले ही और जगह अरस्तु, सुकरात, बुकरात, अफलातून और लुकमान हुए हों, लेकिन हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने यूनानी तिब्बत की बड़ी खिदमत की है। लेकिन बदनसीबी यह है कि उर्दू और हिन्दी दोनों के एक होते हुए भी उर्दू को मुसलमान के साथ जोड़ा दिया गया और हिन्दी को हिन्दू के साथ जोड़ दिया गया। हालांकि हिन्दी भी हमारी है। रहीम खानखाना से बेहतर हिन्दी किसी ने नहीं लिखी। इसी तरह से जो यूनानी तिब्बत है उसकी हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने खिदमत की, लेकिन यूनानी का नाम मुसलमान के साथ जोड़ दिया गया।

मैं मौलाना सम्भली के साथ इत्तफाक करता हूं कि कुछ मसलमान ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं लेकिन उनके नाम के साथ कोई भी चीज नस्व कर दी जाती है। अगर आप आज यूनानी को इग्नोर करते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह कोई मुसलमानों के साथ बेइन्साफी करने का सवाल नहीं है, यह तो एक साइन्स की बात है। आप यूनानी तिब्बत को भी उसी तरह समझें। यह हिन्दू मुसलमान सिख सबकी मिली जुली खिदमत है और इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। हमदर्द दवाखाने की हिन्दुस्तान में मिसाल रहेगी। उस तरह की और दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। आयुर्वेद तो मेरे बाप दादों के वक्त से ठीक से चला आ रहा है, लेकिन हम दर्द की कोई मिसाल और नहीं दी जा सकती, जिसने मुल्क की इतनी खिदमत की हो।

मेरा यकींन है कि श्री के० के० शाह बड़े काबिल लीडर रहे हैं वह हिन्दू और मुसलमानों के नाम के शिकार नहीं होंगे। वह हिन्दुओं और मुसलमानों को खुश करने की बात नहीं सोचेंगे। इस तरह की बात से हिन्दू और मुसलमान उनको वोट देने वाले नहीं हैं।

[**شری عبدالغنی ڈار** (گوڑگاؤں) سبھاپتی مہودے ۔
تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں ٭ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں
میرے قابل ترین دوست اور ہندوستان کے قابل نیتا شری کے۔ کے شاہ
اس بل کو لائے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پر کام ٹھیک سے نہیں ہوتا
ہے اور علم کی پوری عزت نہیں ہوتی۔ میں بتاؤں ایک بار ایک امریکن ڈاکٹر
یہاں تجربہ کرنے کے لئے آئے کہ ہندوستان کے جو ڈاکٹر اور حکیم ہیں ان میں
کوئی قابلیت بھی ہے یا نہیں۔ وہ حکیم اجمل خاں کے والد صاحب کے دواخانہ میں
گیا اور اپنے کو دکھایا۔ انہوں نے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا۔ جب اس نے دوا
لے لی اور دام پوچھا تب پتا چلا ۴ پیسے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ دوا
کا دام ۴ پیسے وہ دوبارہ لائن میں جا کھڑا ہوا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ تم
کو تو میں نے دیکھ لیا۔ تم کو بیس سال ہوئے۔ سانپ نے کاٹا تھا۔ امریکن ڈاکٹر
نے کہا کہ سانپ نے تو کاٹا تھا یہ تم نے معلوم کر لیا لیکن یہ کیسے پتا لگایا کہ
بیس سال پہلے کاٹا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان کو خدا نے
دماغ دیا ہے۔ اگر میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں تو کیا ہوا۔ ہمارے

منتری مہودے ہندوستان کے نیتا رہے ہیں اور اب بھی ہیں ۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یونانی مسلمانوں کی نہیں ہے یونانی طب جو ہے وہ ہندوستان کی دین ہے ۔ پہلے اور جگہ ارسطو بقراط افلاطون اور لقمان ہوئے ہوں لیکن ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں نے یونانی طب کی بڑی خدمت کی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اردو اور ہندی دونوں کے ایک ہوتے ہوئے بھی اردو کو مسلمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور ہندی کو ہندو کو ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حالانکہ ہندی بھی ہماری ہے ۔ رحیم خانخانا سے بہتر ہندی کس نے نہیں لکھی۔ اسی طرح سے جو یونانی طب ہے اس کی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں نے خدمت کی لیکن یونانی کا نام مسلمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔

میں مولانا سنبھلی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو مسلمان ایسے ہیں جو باہر بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز منسوب کر دی جاتی ہے ۔ یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی کرنے کا سوال نہیں ہے یہ تو ایک سائنس کی بات ہے ۔ آپ یونانی طب کو بھی اسی طرح سمجھیں ۔ یہ ہندو مسلمان سکھ سب کی ملی جلی خدمت ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جانا چاہئے ہمدرد دواخانہ کی ہندوستان میں شامل رہے گی ۔ اس طرح کی اور دوسری شامل نہیں دی جا سکتی ۔ آیورویدی تو میرے باپ دادا کے وقت سے ٹھیک سے چلا آ رہا ہے لیکن ہمدرد کی کوئی اور شامل نہیں دی جا سکتی جس نے ملک کی اتنی خدمت کی ہو ۔

[illegible]
وہ ہندو اور مسلمانوں کے نام [illegible] نہیں ہوں گے ۔ [illegible] ہندوؤں اور مسلمانوں کو خوش کرنے کی بات نہیں سوچیں گے ۔ اس طرح کی بات سے ہندو اور مسلمان ان کو ووٹ دینے والے نہیں ہیں ۔]

डा० मेलकोटे (हैदरावाद) : यह बिल देर से पेश हुआ है लेकिन दुरुस्त हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि युनानी के बारे में बहुत कुछ किया गया है। पंडित शिव शर्मा जी बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि युनानी की पूरी मदद हो और शुद्ध युनानी हिन्दुस्तान में रहे। लेकिन क्या हो रहा है। युनानी शब्द से तो पता लगेगा कि ग्रीन से आई हुई यह है। लेकिन ईरान, ईराक, सीरिया इजिप्ट तुरकिस्तान, कहीं आज युनानी की प्रैक्टिस नहीं हैं क्योंकि इसको गवर्नमेंट की मदद नहीं मिलती है। जो कुछ मिलेगी हिन्दुस्तान में मिलेगी। जो कुछ बाकी रह गया है, इसकी पूरी तरह से और अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए। इसकी पूरी मदद हम चाहते हैं।

हम यह भी चाहते हैं कि आयुर्वेद की पूरी तरह से मदद हो। लेकिन आयुर्वेद शुद्ध हो, युनानी शुद्ध हो। लेकिन हम देखते हैं कि युनानी वाले भी माडर्न मैडीसिन की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेम्बर साहिबान सहायता देकर इनको शुद्ध बनाने की कोशिश करें तो बहुत मेहरबानी होगी।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आया है चाहे देर से आया है। लेकिन बहुत अच्छे वक्त में आया है। इससे हिन्दुस्तानियों को जिनको पुरानी युनानी, पुराने आयुर्वेद की जरूरत है, उनको इससे मदद मिलेगी।

श्री शिकरे (पंजिम) : मन्त्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि जिस स्वरूप में यह विधेयक प्रवर समिति से आया था उसी स्वरूप में इसको मंजूर किया जा रहा है। इंटेग्रेटिड कोर्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसके बारे में यहां कई एमेंडमेंट्स भी आए थे। लेकिन मन्त्री जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इंटेग्रेटिड कोर्स के बारे में उन्होंने कुछ आश्वासन दे दिये हैं। मैं चाहता हूं कि उन आश्वासनों की पूर्ति करने में वे जरा काशस रहें। शशि भूषण जी जैसे लोग इंटेग्रेटिड कोर्स का समर्थन कर रहे थे। और जो कौंसिल की कमेटियां बनाई जायेंगी उनमें इंटेग्रेटेड कोर्स वालों 90 प्रतिशत रेप्रेजेन्टेशन देने की उन्हांने मांग की थी। आयुर्वेद की बात भी माननीय सदस्यों ने की। इसको देखकर मुझे एक मिसाल याद आ गई। दो मित्र एक मन्दिर के सामने से जा रहे थे। उनमें से एक नास्तिक था और मेरे जैसा एक आस्तिक था। नास्तिक ने मंदिर के द्वार पर पहुंच कर नमस्कार किया। मेरे जैसा जो आस्तिक था, उसने नमस्कार नहीं किया, हालांकि चिंतन किया। मेरे जैसे आस्तिक ने नास्तिक से प्रश्न किया कि आप तो ईश्वर के अस्तित्व को मानते नहीं हैं, तो आपने नमस्कार क्यों किया ? नास्तिक ने कहा कि हो सकता है कि

[श्री शिंकरे]

कभी मेरा अन्दाजा गलत भी निकल सकता है और हो सकता है कि परमेश्वर हो और उसकी अब कृपा मेरे ऊपर न हो। ऐसे प्रयत्न में श्री शशि भूषण जी ने इंटेग्रेटिव कोर्स को और आयुर्वेद को सपोर्ट किया। मैं समझता हूं कि यह मिक्सचर नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद हमारी संस्कृति का अंग है। उसी तरह से युनानी पद्धति हमारी संस्कृति का अंग है। उनमें अशुद्धता नहीं होना चाहिए।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा): श्री शिव शर्मा जी आयुर्वेद के विषय में सदन में जो चीज लाए हैं बहस के लिए उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस बिल को लाने के लिए मैं मन्त्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ।

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। हमारे जो हिन्दुस्तानी लोग हैं वे हिन्दुस्तानी जो चीजें हैं उनसे दूर भागते चले जा रहे हैं। हम दासता से आते हैं, कुछ समय पूर्व हम दासता के पंजे में जकड़े हुए थे, हमें स्वदेश भक्ति से वास्ता नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। हमें अपने देश की जो सम्पत्ति है, जो चीज हमारी है, उसको हमें दुनिया के नक्शे पर लाकर रखना होगा और जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक देश आजाद हो गया है, यह समझा नहीं जा सकेगा। मैं दूसरे देशों की बात जानता हूं। वहां जो चीजें बनती हैं, उनको अगर कोई देश अपने यहां मंगाता है, मैडीसिन मंगाता है तो अपना लेबिल उस पर लगा कर अपने देश का लेबिल उस पर लगाकर बेचता है। अंग्रेजों की यह बात है, अमरीकनों की यह बात है, दूसरों की यह बात है। इंग्लैंड अगर कोई चीज अमरीका से मंगाता है तो अपना लेबल लगाकर बेचता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। एलोपैथी पर हमने हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं लेकिन आयुर्वेद की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं आदिवासी इलाके से आता हूं। हमारे यहां आयुर्वेदिक दवाइयां ली जाती हैं। हमारे यहां एलोपेथी नहीं चलती है, वह वहां पहुँच नहीं सकती है। आयुर्वेद की दवाइयों का जबर्दस्त प्रचार होना चाहिए और हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में होना चाहिए और इसको पापुलराइज किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में हमें दिखा देना चाहिए कि हिन्दुस्तान में भी कोई चीज है जिसको दुनिया इस्तेमाल कर सकती है और उसकी ओर खिंची आ सकती है।

SHRI M. MUHAMMAD ISMAIL (Manjeri): Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Government for bringing forward this good Bill.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया): मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एलोपेथी के डिप्लोमा या डिग्री होल्डरों को ग्रेंड मिलते हैं उसी तरह से आयुर्वेद और युनानी के डिप्लोमा और डिग्री होल्डरों को मिलने चाहिए। दोनों के एक ही ग्रेड होने चाहिए और चैनल्ज आफ प्रोमोशन भी दोनों के एक समान होने चाहिए।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया): यह खुशी की बात है कि हाउस इस बिल को पास करने जा रहा है। हम लोग इससे सहमत हैं। हमारे पिता कभी कवि थे। हमारे भाई भी कविराज थे। दोनों गुजर गए हैं। आयुर्वेद की दवाओं में जो ताकत है उसकी तुलना एलोपेथिक से नहीं की जा सकती है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां के डाक्टर लोग जिस मरीज को इंजेक्शन देने से डरते थे और समझते थे कि इसको इंजेक्शन दिया गया तो यह मर सकता है, उसको वे हमारे बाबू जी के पास या हमारे भाई साहब के पास भेज दिया करते थे और वह मरीज दस दिन की दवाई ले लेता था और उसमें कुछ स्ट्रेंग्थ आ जाती थी तब उसके बाद उसको इंजेक्शन दिया जाता था।

लेकिन मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि आयुर्वेदिक दवाओं की आजकल जिस तरह से तैयार हो रही है, वह ठीक नहीं है और उस पर मैं अपनी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूँ कि श्री शिव शर्मा भी इसको देखें। अलग अलग फारमेसिया अपने ही नामों से आयुर्वेदिक दवायें बना रही हैं। अब च्यवन प्राश का अगर नाम बदल दिया जाये तो इससे और ज्यादा बुरी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती है।

मैं हजारीबाग जेल में था तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ दवाइयां दी थीं। यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि यह पता चल सके कि ये दवाइयां कितनी प्रभावकारी हो सकती हैं। जब भी मैं जेल जाता था तो हमारे पिता जी हमें तीन दवाइयां दे दिया करते थे। जनरल डेबिलिटी के लिए वह महा लक्ष्मी विलास दिया करते थे, बुखार के लिए आनन्द भैरव और पेट की शिकायत के लिए लवण गादिवटि। नतीजा यह होता था कि जितने दिन भी मैं जेल रहा चार साल के अन्दर-अन्दर मुझे कभी जेल के अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं हुई। जब भी इनमें से कोई तकलीफ होती थी, ये दवाएं ले लिया करता था। एक दिन की बात है। पूर्णिया के एक और हमारे साथी जेल में आये। उनका नाम श्री स्वतीनाद मादरी था। उन्होंने एक जागरी नाम की किताब लिखी है बंगला में जिसके लिए उनको नैशनल एवार्ड मिला है। उनको जनरल डैविलिटी थी।

हमने उनको महा लक्ष्मी विलास की एक गोली खाने को दी और वह ठीक हो गए। एलोपैथी की दवायें वह पन्द्रह दिन से ले रहे थे फिर भी फायदा न हो रहा था। लेकिन यहा एक गोली खाकर उनकी तकलीफ दूर हो गई। इससे पता चलता है कि कितनी प्रभावकारी इसकी दवाएं हैं। इसको प्रोत्साहन देना आपका प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*SHRI M. KAMALANATHAN (Krishangiri) : Mr. Chairman. Sir, rightly or wrongly this Bill is in the final stage of getting passed. At this juncture, I would like to point out that among the three systems of Indian Medicine Ayurvedi, Siddha and Unani—in Tamil Nadu, Siddha system is considered to be the most efficacious and so it is quite popular there. I am afraid that in the Central Council Ayurveda might get preponderant representation. I would stress that the Government should safeguard against this and see that Siddha and Unani systems also get equal representations tn the Central Council.

Mr. Chairman, Sir, in conclusion, I would like to draw the attention of the hon. Minister that under the label of Ayurveda medicines intoxicants are being sold in my State. I request that the Government should bring forward a legislation banning the sale of intoxicants under the label of Ayurveda medicines.

श्री शिव शर्मा (विदिशा) : पिछले बीस तीस साल में आयुर्वेद के रास्ते में बहुत सी रुकावटें पड़ी। लेकिन मैं सरकार का बहुत कृतज्ञ हूं कि बड़े सद्भाव के साथ वह इस बिल को लाई। अब तो किसी विरोधी के लिए भी मेरे हृदय में कोई विरोध नहीं है।

शिकवा न शिकायत न गिला कुछ भी नहीं है
इस दिल में मुहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।

अब तो केवल कृतज्ञता ही मेरे हृदय में है।

मेरे मित्र ने जो उधर से कहा, मैं भी यही देख रहा हूँ कि आयुर्वेद को हिन्दू विज्ञान सिद्ध को तामिल विज्ञान और यूनानी को मुस्लिम विज्ञान समझा जाता है, यह बात होनी नहीं चाहिए और मैं बता देना चाहता हूं कि क्या सम्बन्ध है आयुर्वेद का यूनानी से। मैं तो केवल ऐतिहासिक बात करता हूँ, भावनुकता की बात नहीं करता हूं। मुझे यह मालूम होता कि यह

*The original speech was delivered in Tamil.

[श्री शिव शर्मा]

विषय चलेगा तो मैं पत्र ले आता लाहौर से अपने हकीम दोस्तों के, जिस वक्त हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा था पाकिस्तान के हकीम मुझे उधर आने का आग्रह कर रहे थे, मैं पत्र में से दो-तीन वाक्य सुना देता हूँ, मैंने लिख दिया था कि मैं आ जाऊंगा। तो उनके शब्द हैं, एक हकीम साहब के—पंडित साहब, खुदा आपकी उम्र दराज करे। आपने नियाजमन्दों की दरख्वास्त कबूल फरमाई और लाहौर में आने का कस्द किया। आपकी तशरीफ आवरी की खबर सुन कर लाहौर से सरगोधा तक मुसरत की लहर दौड़ गई यह उनके शब्द थे। मैं उन हकीमों के लिए हमेशा वहां पर लड़ा हूँ और यहां पर भी लड़ा हूँ। मुझे दुख है कि हमारे दोस्त हकीम अब्दुल लतीफ साहब का स्वर्गवास हो गया, वह चेयरमैन थे यूनानी रिसर्च कमेटी के। और मैं आपको बता दूं अगर आप ध्यान से कांस्टीट्यूशन को देखेंगे तो पूरी समता पायेंगे, मैं आयुर्वेदिक कमेटी का चेयरमैन हूं और हकीम अब्दुल लतीफ साहब मरहूम यूनानी कमेटी के चेयरमैन थे। कोई भी उनके और मेरे अधिकार में अंतर से कम नहीं था। वह बिल्कुल स्वतन्त्र थे। इस बिल के नीचे तीन कमेटीज बिलकुल अपनी-अपनी मालिक हैं। एक भी वैद्य बिलकुल दखल नहीं दे सकता यूनानी के फैसले में। वह आटोनामस है। आप हमारा यकीन कीजिए। मैं किसी छोटी चीज के ऊपर समझौता करने को तैयार नहीं था। पूरा अधिकार यूनानी का वही है, शत प्रतिशत। अब वह कितना रुपया आयुर्वेद को देंगे, कितना यूनानी को देंगे कितना एलोपेथी को देंगे, यह मसला दूसरा है। उस पर मैं इस समय जाना नहीं चाहता। इस वक्त मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कितना सुरक्षित है यूनानी हम लोगों के पास। यह चिट्ठी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की है, उनकी आफिशियल मुहर है और कौंसुलेट जनरल की चिट्ठी है। यह सीरिया की है जहां कि राजधानी दमिश्क है जहां यूनानी ने इतनी तरक्की की कि आप वहां की हिस्ट्री पढ़िये, उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों को हमारी सरकार ने, मूर्त्ति साहब ने ज्यादा से ज्यादा पद्म-भूषण दे दिया लेकिन अपने हकीमों को उन्होंने जागीरें ही नहीं दीं बल्कि फस्ट क्लास कनीजें भी साथ में दीं जो कि कभी आपसे मिलने वाली नहीं हैं हम लोगों को। ईराक में जिसकी राजधानी है बगदाद, जहां खलीफा हारू-अल-रशीद और अल मंसूर ने आठवीं सदी में यूनानी ग्रन्थों का और आयुर्वेद के ग्रन्थों का अनुवाद कराया और जहां यूनानी की नींव पड़ी, यह इनके सबके आफिशियल पत्र हैं, मैंने उनसे आंकड़े मांगे थे कि कितना आपका बजट है, कितने आपके कालेजेज हैं, तो इन सबका एक ही जवाब है कि यहां यूनानी बिलकुल नहीं है और सब खत्म है। यही उत्तर ईरान का, यही ईराक का, यही ईजीप्ट का, यही सीरिया का, यही कुवैत का है। कुवैत ने मुझे आफिशियल इनविटेशन भी दिया हुआ है। मेरा उनके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। भारत में आयुर्वेद समाप्त नहीं हुआ है और उन्होंने तो यूनानी को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। और मैं बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि यूनानी हिन्दुस्तान में यदि समाप्त नहीं हुई यह केवल इसलिए कि आयुर्वेद ने उसको खत्म नहीं होने दिया। आयुर्वेद खत्म हो जाता तो यूनानी का नाम ढूंढने से नहीं मिलता। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक सरकार मेरी बात सुनती है, और इस वक्त की सरकार सुनती भी है, पहले सरकार बिलकुल ही विरोध करती थी, जब यूनाइटेड नेशंस ने मुझे सीधा बुला लिया सरकार के सिर के ऊपर से तो यहां से एक अफसर साथ भेजा गया जिसने एक-एक डाक्टर को पकड़-पकड़ कर वहां यूनेस्को में कहा कि इसका तो वहां कोई स्टेट्स ही नहीं, इसको आपने सीधे क्यों बुला लिया? गवर्नमेंट में इसकी कोई जगह नहीं। और कोई

दूसरा काम उसने नहीं किया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की अपनी महत्ता है और हमको डरने की आवश्यकता नहीं है यूनानी को और आयुर्वेद को। हम अगर जिन्दा हैं तो किसी ने मेहरबानी कर के हमको जिन्दा नहीं रखा। हम तो एक टेक आफ चाहते थे, इस बिल से इतनी ही मदद चाहते थे कि एक दफा हवाई जहाज को धक्का लग जाये। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। और यहां पर यह बात कही गई हैं कि यहां आश्वासन दे देते हैं और आगे वह आश्वासन पूरे नहीं करते मेरा तो अनुभव है कि शाह साहब ने जितने आश्वासन मुझको दिए और मूर्ति साहब ने जितने आश्वासन दिए उन्होंने सारा जोर लगा दिया उनको पूरा करने का, इनके लिए तो मैं जब तक यह अधिकारी हैं अधिकार से कह सकता हूं, अपनी जिम्मेदारी पर, कि किसी प्रकार का भय आश्वासनों के भंग हो जाने का नही है।

इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस बिल के लिए ही मैं यहां आया था। मैं समझता हूं कि अब कोई भाषण मैं आपके ऊपर नहीं थोपूंगा। मैं कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक शेर अन्त में फिर कहता हूं उन सबके लिए जिन्होंने मदद की हैं कि :

तुम सलामत रहो कयामत तक,
और दुआ है कि कमायत भी न हो।

SHRI B. S. MURTHY : Sir, I do not think from the first Parliament to this Parliament, any other Bill has received so much popular enthusiasm as this Bill in the Third Reading. It is because everybody who is patriotic has been feeling sorely about the plight of Ayurveda, Unani and Siddha systems. Today, this Bill gives the same status to these Indian medicines as is enjoyed by the modern medicine, allopathy. In this Bill what has been attempted is to give a status which will make Ayurveda, Unani and Siddha equal with the Allopathic system.

As Shri Shiva Sharma has said, the three Committees are autonomous. I claim and India claims Unani as Indian. As Dr. Melkote said, it is only in India that Unani being given an equal status with the modern medicine and nowhere else in the other countries of the world. It is true.

Some hon. friends said, what will be the use of this Bill, if we don't do anything to promote and to improve the systems of Ayurveda, Unani and Siddha.

For the information of the hon. Members, I would say, this, that today there exists a Central Council of Research for Indigenous Medicines, and also Homoeopathy. For this we have allocated Rs. 4 crores and today there are 131 Research Centres all over the country.

This Bill tries to give full development for the systems of Ayurveda, Unani and Siddhi. For me it is a matter of personal satisfaction also, because 32 years ago, when the Madras Government, under the Adviser's regime were about to abolish the School of Indian Medicines, I fought with the Advisers there, with not much success. But, fortunately today, I am able to pilot this Bill which will make the Ayurveda, Unani and Siddha systems become equal with other modern systems.

I am grateful to the hon. Members who have participated in this Debate and who have given their support.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह तीनों सीधा हो जाते हैं।

SHRI B. S. MURTHY : I would like to reply to that. Unani, Ayurveda and Siddha systems will become 'Prasiddhas' in the world. I am grateful to the Members for thanking the Government as well as the hon. Minister, Mr. Shah, my colleague. After all, I am a humble soldier. I must thank all the Members who have cooperated and given us their support. I only request that this Bill passed by Rajya Sabha may be passed here without any amendments. Thank you.

I beg to move :

"That the Bill be passed :"